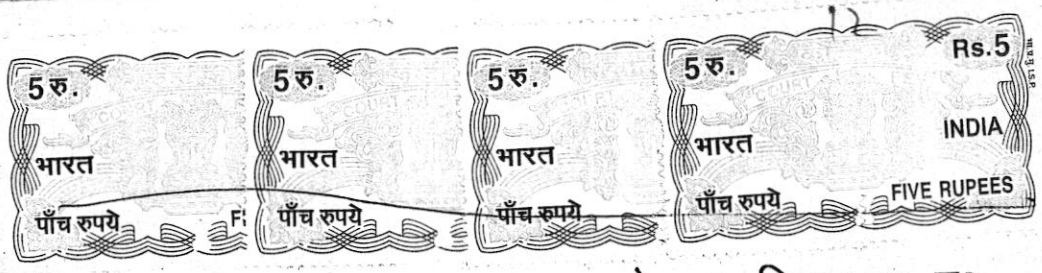

5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0 प्र0

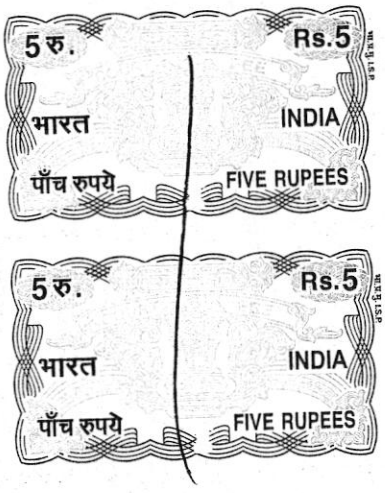

निग -2854-I/16

प्र0 क0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

श्रीमती रामलली पुत्री धनीराम कुशवाहा पत्नि मसलती कुशवाहा निवासी हाल ग्राम सेमई तहसील व जिला दतिया म0 प्र0

.... आवेदिका / अपीलार्थीया

बनाम

1– कल्लू 2– उदय सिंह 3– बावू 4– चतुर 5– मंगल 6– पहलवान पुत्रगण धनीराम कुशवाहा निवासी ग्राम सुखदेवपुरा तहसील इन्दरगढ जिला दतिया म0 प्र0

7– माया पुत्री धनीराम कुशवाहा पत्नि अशोक कुशवाहा निवासी स्टील फैक्ट्री के पास रेल्वे स्टेशन के पास दतिया म0 प्र0

.... अनावेदकगण / प्रत्यर्थी

श्री ए. आर. दिनकर अभि0 द्वारा आज दि. 26-8-16 प्रस्तुत
रीडर बोर्ड कोर्ट 26-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानीः– अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं. 1959 व नाराजी आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सेवढा के प्रकरण कमांक 51 / अपील / 2015–16 रामलली बनाम कल्लू आदि में पारित आदेश दिनांक 9–8–2016 के विरूद्ध

(ए. आर. दिनकर)
एडवोकेट

महोदय,

प्रार्थीया / आवेदिका की निम्नलिखित निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/2854/एक/2016/ जिला-दतिया

श्रीमती रामलली विरूद्ध कल्लू आदि अन्य 6

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18/5/-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए0आर0 दिनकर उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री अनिल शर्मा उपस्थित। 2- यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी स्योड़ा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 51/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में धारा 5 अवधिविधान के संबंध में निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण में भी विचारक्षेत्र धारा 5 तक ही सीमित रहेगा। 3- प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्यतः वही तथ्य दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो प्रश्नाधीन आदेश के पैरा 2 में अंकित है, जिन्हें यहां दुहराया जाकर पुनः लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रश्नाधीन आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रश्नाधीन आदेश के पैरा 3 में अंकित तथ्यों को ही दुहराया गया है तथा अपील 10 वर्ष जैसे लम्बे बिलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। 5- निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.08.2016 का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदिका अनावेदकगण की सगी बहन होकर हितवद्ध पक्षकार है जिसे तहसीलदार द्वारा नामांतरण के समय व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और न ही उसे सुना गया। इस संबंध में आवेदिका के अिधवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील में	

न्यायसिद्धांत प्रस्तुत कर प्रथम अपीलीय अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराया गया जिसका उल्लेख अनु0अधि0 द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 09.08 .2016 में किया भी गया है किन्तु आदेश के निष्कर्ष में न्यायिक सिद्धांतों को अनदेखा किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समयावधि के संबंध में भी प्रस्तुत न्याय सिद्धांत की अनदेखी उनके द्वारा की गयी है। प्रकरण में हक एवं विधि का प्रश्न उपस्थित है। इस संबंध में मान.सुप्रीमकोर्ट ने 2002(।।) एमपीजेआर 36 (डी.बी.सु.को.) जस्टिस आर.सी.जाहौटी एवं जस्टिस डी.एम.धर्माधिकारी ने यह व्यवस्था दी है कि " हाईकोर्ट को अपील में बिलम्ब क्षमा करने के आवेदन पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात सु.को. ने यह करार दी कि जहां अपील में विधि का प्रश्न विचारणीय हो वहां अपील ऑन मैरिटी सुनी जाना न्यायहित में होगा" इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि पक्षकार आन मैरिट न्यायपास के और अपील बेरूम्याद होने के आधार पर वह न्याय से बंचित नहीं हो सके"। इसी प्रकार नामांतरण के संबंध में भी अवधनारायण बनाम रविप्रकाश,1987रा.नि. 304 में **नामांतरण नियम 27-** उदघोषणा तथा हितवद्ध पक्षकार को सूचना दिए बिना कार्यवाही प्रत्यक्षत: दोषपूर्ण है तथा शून्य है- इसके साथ ही कमरून्निसा बनाम अन्नावी, 1989 रा.नि. 63 में भी हितबद्ध पक्षकार, निकटतर वारिस, हित-प्रतिनिधि, बैध प्रतिनिधि आदि को पूर्व सूचना दिए बिना और उनकी सुनवाई किए बिना और हकदार की अनदेखी की गयी, कार्यवाही अवैध, व्यर्थ है। नामांतरण के संबंध में ब्रिजलाल वि0 मथुराबाई 1989 रा.नि. 16 में भी स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादि किया गया है कि " नामांतरण की हितबद्ध व्यक्तियों को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है-अन्यथा कार्यवाही अवैध मानी जावेगी"।

6- उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों की अनदेखी की गयी है, अनुविभागीय अधिकारी को चाहिए था कि वे प्रश्नाधीन आदेश के पैरा 2 में अंकित विधिक तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण को गुण दोष पर दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदार करते हुए बोलता हुआ आदेश पारित करते,जो उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि आवेदिका अनावेदक की सगी बहन होकर आवश्यक हितवद्ध पक्षकार है जिसे व्यक्तिगत नोटिस/सूचना पत्र देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था जो अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं किया गया है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया के विपरीत है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश

प्रकरण क्रमांक निग/2854/एक/2016/ जिला-दतिया

श्रीमती रामलली विरूद्ध कल्लू आदि अन्य 6

दिनांक 09.08.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी कर सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुणदोष के आधार पर बोलता हुआ आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य